A PUBLICATION OF MOTHERHOOD UNIVERSITY, ROORKEE

(Recognized by the UGC with the right to award degrees u/s 22(1) of the UGC act 1956 andestablished under Uttarakhand Government Act No. 05 of 2015)

Motherhood International Journal of Multidisciplinary Research & Development

A Peer Reviewed Refereed International Research Journal

Volume II, Issue I, July 2017, pp. 15-18

ONLINE ISSN-2456-2831

भावी उच्च शिक्षा का विकास एंव भावी शिक्षा नीति

डॉ. वी. के. शर्मा
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की

सारांश

विभिन्न शिक्षा आचार्यो शिक्षा समीतियों एवं राष्ट्रीय विचार गोष्ठीयों से जो तथ्य उभरकर सामने आये है उनमें पाया गया कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या जहाँ एक और उत्तरोत्तर बढ़ रही हे वही दूसरी और शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है। भारतीय समाज में बहुत बड़े वर्ग की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की शैक्षिक पूर्ति करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था नाकाम हो गई है। शिक्षा ने व्यवसायीकरण की जो गति अपनानी है उससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा समाज में मूल्यों , परम्पराओं एवं योग्यताओं का सृजन तो नही कर रही है परन्तु सामाजिक विषयताओं की दिवार और ऊचा करने में अवश्य योगदान कर रही है।

प्रस्तावना:–

आदिकाल से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किये गये उनका श्रेय तद्कालीन धर्माचारों मनीषियों एवं ऋषि मुनियों को जाता है उनके द्वारा रजित सांचित व संयोहित जो भी ज्ञान सम्पदा है वह विरासत में मिली है ज्ञान के इस वृहद भाग का विकास भारतीय ऋषि– मुनियों द्वारा अपने आश्रमों में गुरूकुलों परिषदों तथा विद्या पीठों में किया गया । वैदिक काल से ही संस्कृत भाषा इस ज्ञान संग्रह का माध्यम रही है प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का स्वरूप आज जैसा नही था । प्राथमिक माध्यमिक , और उच्च शिक्षा की व्यवस्था आधुनिक काल की देन है।

वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केन्द्र गुरूकुल , परिषद , घटिकाएं , मठटोल, विद्या पीठ और मदिंर स्थित विद्यालय थे । ऋषियों व आचार्यो द्वारा आश्रम पद्धति क्षेत्र के उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के कुेन्द्र ऋषि आश्रम अगघर ग्राम थे तत्कालीन शिक्षा की दो प्रमुख विधाएं थी 'परा' और 'अपरा' । परा के अन्तर्गत आध्यात्म सम्बंधि विषय बौद्य कराया जाता था 'अपरा' के विषय थे – लोग जीवन सम्बन्धि विविध ज्ञान की विधाए । यह सारी शिक्षा प्रमुखतः धर्म अनुप्रणित थी शिक्षा मुक्ति का साधन थी जैसे ' सा विद्याय मुक्तये । वैदिक काल से हन्दोग्य – उपनिषद वृहदारण्यक में ऋग्वेद , यर्जुवेद सामवेद और अर्थावेद का उल्लेख मिलता हे। देव विद्या व्याकरण ज्योतिष , तर्कशास्त्र नीति शास्त्र और औषधि विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन अध्यापन को व्यवस्था आश्रम पद्धति के गुरूकुलों में थी।

गुरूकुलों की शिक्षा व्यवस्था की अपनी एक आचार संहिता थी वे इन विद्यापीठों में पठन व आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत अनुशासित ढंग से गुरूओं से ज्ञान प्राप्त करते थे शिक्षण विधि मौखिक थी आचार्य कठस्थ शिक्षा पर जोर देते थे। विद्वानों की सका में तर्क संगत पद्धति से छात्र को परीक्षा देनी पडती थी । नालंदा , तक्षिला तथा बल्लभी भी जैसे विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी ये भारत के उच्च शिक्षा के प्रधान और श्रेष्ठतम् केन्द्र थे।

आदि कालीन शिक्षा पद्धति में परिवर्तन विदेशी आक्रामकों के आगमन से हुआ भारत में मुस्लिम काल में शिक्षा के केन्द्र मंदिर थे । सन् 1915 में अग्रेजो के आगमन से आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरूआत में आदि महानगरों में डिग्री कॉलेज की संख्या लगभग 23 थी इसी वर्ष के अंतर्गत भारत में तीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । सन् 1902 तक देश में 197 डिग्री कॉलेज बन चुके थे सन् 1902 में ही सर्वप्रथम भारतीय वि0वि0 आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया ।

वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय स्तर पर विगत शताब्दियों से हमारे देश में शैक्षिक ढांचे का नया रूप देने के विषय में शिक्षा विदों , बुद्धि जीवियों तथा केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का शिक्षक विभाग विचार गोष्ठियाँ सम्मेलनों को आयोजन कर चुके है भारत में सर्व प्रथम उच्च शिक्षा की व्यवस्था , प्रशासन तथा शौक्षिक उन्नयन हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

(राधा कृष्ण एजुकेशन कमीशन) वर्ष 1948–49 में गठित किया गया। इसी क्रम में मुदालियर शिक्षा आयोग (1952–53) और कोठारी शिक्षा आयोग (1964–66) दोनों आयोगों में शिक्षा के समग स्वरूप की समीक्षा कर शौक्षिक उन्नयन हेतु रचनात्मक सुझाव सरकार को जारी किया गया । सन् 1986 में नई शिक्षा नीति का दस्तावेज में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया । इस दिशा में सन् 1992 में 1986 की शिक्षा नीति को ओर विस्तार देते हुए प्रोग्राम आप एक्सन सम्बंधी दस्तावेज जारी किया गया।

विभिन्न शिक्षा आयोगों शिक्षा समीक्षा समितियों एवं राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों से जो तथ्य उभकर सामने आये उनमें पाया गया कि शिक्षण संस्थाओं की एक ओर जहाँ संख्या बढ़ती जा रही है वही दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है भारतीय समाज में बहुत बड़े वर्ग की आवश्यकताओं ओर आकाक्षओं की पूर्ति करने में हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था परस्पर विरोधभाषों से ग्रस्त है शिक्षा का व्यवसायिकरण होता जा रहा है पैसा दो ओर शिक्षा ले अब यही जीवन मूल वन चुका है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ह्रास होने के कुछ कारणों का उल्लेख करना यहाँ अपेक्षित है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं या कॉलेजों में पर्याप्त संसाधनों की कमी हे । इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बंध महाविद्यालयों में शिक्षा सम्बंधि समस्याएं ज्वलंत हे इन विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के कुल पद 4364 है जबकि उनसे 3761 पद रिक्त हे एक सर्वेक्षण अनुसार देश के पूर्व निर्मित आई0आई0टी0 में वर्ष 2009–10 में शिक्षकों के 1065 पद रिक्त थे वि0वि0 अनुदान आयोग द्वारा वष्र 2008 में 47 वि0वि0 का सर्वेक्षण कराया गया जिनमें शिक्षको के 51 प्रतिशत पद खाली पाये गये। कई महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 धारक शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी ओर न्यूनतम् शौक्षिक योगयता के कारण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता घट रही है ं इससे देश की बैद्धिक श्रेष्ठता पर कुप्रभाव पड़ रहा है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार सन् 2007–8 में भारत में लगभग 156 शोधार्थी प्रति 10 लाख जनसंख्या पर थे पर थे । भारत में हर वर्ष विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में 5 हजार से भी कम पी0एच0डी0 निकलते है। जब कि अमेरिका में यह संख्या 23 हजार और चीन में 35000 हजार है।

आज विश्व के इस बदलते हुए परिदृश्य में जहां द्रुत गति से तकनीकी विज्ञान ओर प्रौद्यौगिकी के क्षत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही हे वहां पर भारत जैसे विशाल राष्ट्र को इस प्रतितस्पर्धा के लिए तैयार करने की चुनोती हमारे केन्द्रीय मानव विकास मंत्रालय ने स्वीकार की है । यह चुनौती इतनी सहज नही है सर्वप्रथम हमे अपने देश की उच्च शिक्षा की दशा पर दृष्टि डालनी है। जिसका स्वरूप आज भी अरपटा और जटिल है । देश के विश्वविद्यालयों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली से अधिकाश ऐसे स्नातक ओर परास्नातक उपाधि प्राप्त कर युवक तैयार हो रहे है जो कि अनुत्पादक तथा अयोग्य जनसंख्या बढ़ाने में योगदान करते जा रहे है। विश्व में उन्नत राष्टो की प्रगति गुणवत्ता पूवर्ण उच्च शिक्षा की वयवस्था का ही प्रतिफल है। उन देशों में शिक्षा में उत्पादकता ओर आय में वृद्धि करने में साथ समाज में अंतर वर्गीय गतिशीलता को बढ़ावा दिया गया है।

आधुनिक ज्ञान–विज्ञान ओर अनुसंधान जिस पर देश की प्रगति , समृद्धि ओर सुरक्षा निर्भर करती इसके लिए देश के विश्व विद्यालयों उच्च शिक्षा संस्थानों व शोध केन्द्रो के सार्थक प्रयास करने होगे। उनहे अपने शैक्षिक ढ़ाचे तौर तरीकों पर लचीला पन लाना होगा । इस दिशा में अब विश्वविद्यालय आयोग भी सक्रीय पहल कर रहा है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुस्त करने के लिए यू0जी0सी0 ने नये दिशा निर्देश जारी किये है।

विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर पदोन्नति , वेतन वृद्धि सेवा शर्तों ओर शोध विषयक उपलब्धियों जैसे विविध पक्षों पर निर्देश दिये है। प्रोफेसर बनने के लिए उच्च शौक्षिक योग्यता के साथ ही पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। महाविद्यालय के प्राचार्य पद की नयूनतम योग्यता पी0जी0 कक्षाओं का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तथा पी0एच0डी0 उपाधि धारी होना आवश्यक है उच्चतम शैक्षिक योग्यता के साथ ही शोध उपाधि धारक पत्र ही ऐसोसियेट प्रोफेसर व प्रोफेसर हम काफी पीछे है । पर आज उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शोध के क्षेत्र में हम काफी पीछे है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व स्तर पर लाने के लिए हमारे देश के सामने जो चुनौतिया है उनसे पार पाने के लिए अब केन्द्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी ं इस मंत्रालय ने वर्तमान उच्च शिक्षा की दशा को देखते हुए उसे सही दिशा प्रदान करने हेतु कुछ रचनात्मक सुझाव दिये है– विश्वविद्यालय में अनुसंधान उच्च स्तरीय हो इसके लिए प्र्याप्त शोध वृद्धि प्रदान की जाय । विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं का आयोजन सेमिस्टर सिस्टम के आधार पर किया जाय। केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ऐट्रेन्स टेस्ट लागू हो। उच्च शिक्षा के नियमन के विदेशी विश्वविद्यालयों और कैम्पस देश में खोलने विषयक कानून बनाया जाय।

जिससे की देश और विदेश में विश्वविद्यालय में परस्पर प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा । हाल ही में मानव संसाधन विकास मत्री ने उच्च शिक्षा व शोध आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है जिसके विधेयक का मसौदा भी तैयार कर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार वोर्ड से संस्तुत करा लिया है। इस विधेयक को गुण – दोष की विवेचना करने हेतु देश के अन्य राज्यों के पास भेजा है। जैसे ही अन्य राज्यों की विधेयक पर सहमति बनेगी तदुपरान्त विधेयक को कानूनी स्वरू दे दिया जायेगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं को अब एडसेट जैसे

कई हाइटेक सेटेलाइट कार्यक्रमों से जोडनें का राष्ट व्यापी प्रयास चल रहा है। सुदूर समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर कि विगत वर्षों में पर्याप्त फर्नीचर कम्यूटर व अन्य सचार सुविधाओं से परिपूर्ण प्रयोग शालाओं और शोध हेतु संसोधनों की कमी थी , हमे देश की उच्च शिक्षा के लिए बहुआयामी विकास व प्रगति के प्रति आशावान होना चाहिए । केन्द्र सरकार की उच्च शिक्षा की परिवर्तित नितियों एवं व्यवस्थाओं का सफल कियान्वयन तभी सम्भव होगा जब कि विश्वविद्यालय सीमेट , विद्वत् परिषद तथा कार्यकारी परिषदों का सकिय सहयोग मिले।

संदर्भः– 1. भारतः शिक्षा 1988–89 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण भारत सरकार नई दिल्ली

2. डॉ0वी0के0 शर्मा , उच्च शिक्षा प्रगतिः दशा और दिशा , शिक्षा शोध प्रणिका , उत्तराखण्ड शोध संसधान।